

तारीख
 हुक्म

3!!!... इतिहासक माहल के कार्य
 स्थिति किन्तु है। दिनांक 18.12.25
 को पेश हो ✓ S.D.O.

18/02/25
 पत्रावली पेश / वकील शर्मा उपख
 वास्ते गौट TDR Report दिनांक
 15/4/25 को पेश हो ✓ S.D.O.

16/09/25 पत्रावली रजिस्ट्रार पेशी से के
 TDR रिपोर्ट उर्ब से पेश। एहम वकील
 शर्मा की सुनी गरी वास्ते आदिरा
 पत्रावली दि. 13/10/25 को पेश हो ✓ S.D.O.

13/10/25 पत्रावली पेश। वकील शर्मा
 उफा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध
 दस्तावेजों का गहन अवलोकन व
 मनन किया गया। TDR रिपोर्ट का
 भी अवलोकन किया गया। शर्मा पत्र
 व TDR टहला रिपोर्ट के अनुसार
 शर्मा के हिंसा/रकबा की मात्रा अशुद्धी
 राजन्यायन मू- राजन्याय आधिनियम 1956
 की धारा 136 में नहीं होकर शर्मा पत्र

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुए।

पार्सी बौध्नात्मक प्रकृति का वाद है।
इसलिए पार्सी पत्र पार्सी आन्वीकार
किपा जाना उचित गीत होता है।
अतः -

आदेश है कि

पार्सी पत्र पार्सी धारा 136 मू-राजान्य
अधिनिमत्र 1956 अशुकी मात्र राजान्य
मू-राजान्य अधिनिमत्र 1956 धारा 136
में नही होकर बौध्नात्मक प्रकृति का
वाद होने के कारण पार्सी पत्र पार्सी
आन्वीकार/इवारीज किपा जाता है।
पजावली मन्हार से कम होकर जमा
लेख मन्हार है।

500